

पत्रावली न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। प्रार्थी के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 मय वकील उपस्थित। प्रार्थी के वकील को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हेतु काफी अवसर दिये गये है। जवाब पेश नहीं किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में आबादी भूमि का पट्टा संख्या 7/28 दिनांक 22.12.2004 जारी किया हुआ है। प्रार्थी ने उक्त पट्टे की भूमि के उत्तर--पश्चिम की भुजा की तरफ 27 फीट तक रहवासी मकान का निर्माण लगभग 25-30 वर्ष पहले कराया था एवं शेष 3 फीट की भूमि अपने सुखाधिकार हवा व प्रकाश के लिए खिड़किया व दरवाजे रखे गये हैं। विप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी की सुखाधिकार हेतु छोड़ी गई 3 फीट की भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा करने हेतु सामग्री डाल प्रार्थी की पट्टा सुद भूमि पर गलत तरीके से काबिज होने के आशय से अतिक्रमण करने व निर्माण करने हेतु प्रयासरत है। यदि विप्रार्थी संख्या 02

<b>तारीख हुक्म</b>	<b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b>	<b>आ हुक्म में ज</b>
	<p>ऐसा करने में सफल हो जाता हैं, जो प्रार्थी को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा एवं उसका निगरानी पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए निगरानी के निर्णय तक ग्राम पंचायत बायतु पनजी की आबादी भूमि में प्रार्थी द्वारा सुखाधिकार हेतु छोड़ी गई भूमि पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने हेतु जारी स्थगन आदेश दिनांक 5.6.2017 यथावत रखा जाए। इसके जवाब में विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि न्याय प्राप्ति हेतु व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जिन तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया गया है उन्हीं तथ्यों के आधार पर सुखाधिकार की रक्षार्थ सिविल बाद श्रीमान् सिविल न्यायालय महोदय बाड़मेर के समक्ष प्रार्थी ने दिनांक 1.6.2017 को पेश किया था जिसके अनुवान प्रहलादराम बनाम देवीसिंह वगैरहा, जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पेश पेश किया गया था। प्रकरण में सिविल न्यायालय बाड़मेर द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई के पश्चात् किसी तरह की निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई। उक्त वाद एवं आवेदन के विचारण रहने के दौरान समान एवं हुबहु तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश कर सुखाधिकार के वाद एवं उसमें सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं करने के तथ्यों को छुपाते हुए एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। तहसीलदार बायतु की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी प्रहलादराम ने आगे की भुजा 27 फीट, पीछे की भुजा 38 फीट एवं कुल लम्बाई 80 फीट पर निर्माण कार्य कराया है, जबकि प्रार्थी को पट्टा 30x45 का जारी है। प्रार्थी ने पट्टे में दर्शाई भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य कराया है। न्याय हित में प्रार्थी को जारी स्थगन आदेश खारिज किया जाना आवश्यक है।</p> <p>हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा आबादी भूमि में जारी पट्टा दिनांक 22.12.2004 के संबंध में सुखाधिकार की मांग स्वयं की भूमि पर की है। प्रार्थी ने अपने भूखण्ड के उत्तर-पश्चिम भुजा की तरफ ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा पट्टा संख्या 11/20.12.2008 श्रीमती लीला देवी, 12/20.12.2008 श्रीमती देमीदेवी, एवं 13/20.12.2008 दीपाराम को जारी पट्टा निरस्त करने हेतु 3 निगरानियों न्यायालय में पेश की है, जो विचाराधीन है। तीनों ही निगरानियों समान एवं हुबहु तथ्यों के आधार पर पेश की गई हैं। प्रार्थी प्रहलादराम को ग्राम पंचायत द्वारा 30 फीट गुणा 45 फीट भूखण्ड का पट्टा संख्या 7/28 दिनांक 22.12.2004 जारी हुआ है, जबकि तहसीलदार बायतु की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आगे की भुजा 27 फीट, पीछे की भुजा 38 फीट एवं कुल लम्बाई 80 फीट पर निर्माण करवाया हुआ है। इससे</p>	

14

नम्बर  
अहकाम  
जारी हुए

### हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी का पट्टे में दर्ज भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा है। लिहाजा इस स्तर पर प्रार्थी को प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की असुविधा होना प्रकट नहीं होता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन के तथ्यों में उचित आधार उपलब्ध नहीं होने से इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 5.6.2017 को वेकैट किया जाता है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

✍  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)